

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 178 सन 2022

अनवान :-

1. सिकन्दर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी भुकरका हाल झण्डुका तहसील सरदुलगढ जिला मानसा।

वादी

बनाम

1. जसमेल कौर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी भुकरका हाल झण्डुका जिला मानसा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 05/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 495/512 की कुल 12.2220 हैक् में से 2167/10185 हिस्सा हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में महेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्रसिंह के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में महेन्द्रसिंह पुत्र चन्द्रसिंह के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है महेन्द्रसिंह पुत्र चन्द्रसिंह का देहान्त हो चुका है महेन्द्रसिंह पुत्र चन्द्रसिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 है जो महेन्द्रसिंह पुत्र चन्द्रसिंह के नाम से दर्ज भूमि विरास्तन से पाने की अधिकारी है।


प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता है एवं महेन्द्रसिंह पुत्र चन्द्रसिंह की पत्नी है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के का हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की महेन्द्रसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि का वादी खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उसके पति महेन्द्रसिंह पुत्र चन्द्रसिंह के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है महेन्द्रसिंह पुत्र चन्द्रसिंह के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 है जो महेन्द्रसिंह के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने पुत्र वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व);  
नोहर

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 495/512 की कुल 12.2220 हैक् में से 2167/10185 हिस्सा हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में महेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्रसिंह के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में महेन्द्रसिंह पुत्र चन्द्रसिंह के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है महेन्द्रसिंह पुत्र चन्द्रसिंह का देहान्त हो चुका है महेन्द्रसिंह पुत्र चन्द्रसिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 है जो महेन्द्रसिंह पुत्र चन्द्रसिंह के नाम से दर्ज भूमि विरास्तन से पाने की अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता है एवं महेन्द्रसिंह पुत्र चन्द्रसिंह की पत्नी है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के का हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 495/512 की कुल 12.2220 हैक् में से 2167/10185 हिस्सा हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में महेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्रसिंह के नाम से दर्ज है।


वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उसके पिता महेन्द्रसिंह पुत्र चन्द्रसिंह के नाम से दर्ज है वादी के पिता महेन्द्रसिंह पुत्र चन्द्रसिंह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 है जो महेन्द्रसिंह पुत्र चन्द्रसिंह के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण-काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 495/512 की कुल 12.2220 हैक् में से 2167/10185 हिस्सा हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में महेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्रसिंह के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व,  
नोहर

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सिकन्दर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी भुकरका हाल झण्डुका तहसील सरदुलगढ जिला मानसा।

वादी

बनाम

1. जसमेल कौर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी भूकरका हाल झण्डुका जिला मानसा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 178 सन 2022 निर्णय दिनांक-05/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 495/512 की कुल 12.2220 हैक् में से 2167/10185 हिस्सा हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में महेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्रसिंह के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर